

आधुनिक युग में बुनियादी शिक्षा और समाज: उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में

डॉ० सन्तशरन

पोस्ट डॉक्टरल फेलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली रहे हैं।

सारांश

किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके अभाव में न कोई व्यक्ति विकास कर सकता है, न कोई समाज विकास कर सकता है और न कोई राष्ट्र विकास कर सकता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा की संरचना, शिक्षण पद्धतियों, शैक्षिक प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में सुधार तथा विकास के लिए अनेकों सार्थक प्रयास करने पर बल दिया गया है। शैक्षिक असमानताएं और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निर्बल और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं का निर्धारण कर उनको अमलीजामा पहनाने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। इसके लिए दो प्रकार की शिक्षा नीति बनायी गयी। पहली तो यह कि इतिहास में जो वर्ग शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें आरक्षण के माध्यम से मुख्यधारा में आने का अवसर दिया गया जबकि दूसरी नीति के तहत गरीब और पीछे छूटे हुए लोगों के लिए छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य रूपों में आर्थिक मदद जैसी व्यवस्था की गई।

Key Words: जनशिक्षा, आध्यात्मिक, अनुदान, गतिशीलता, अंतर्विरोध, रोजगारपरक

परिचय

“किसी देश की शिक्षा की जड़ें उस देश की संस्कृति में तथा उसकी प्रतिबद्धता प्रगति के लिए होनी चाहिए।” भारत देश में मौलिक शिक्षा (बुनियादी शिक्षा) प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्तर पर अलग-अलग मापदंड निर्धारित है। देश को लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा (Concept of Welfare State) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना मृगमरिचिका के समान ही है। उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या बाहुल्य वाले राज्य में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा एक चुनौती ही है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार, शिक्षक, अभिभावक, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के बिना यह सम्भव नहीं है।

“राज्य द्वारा जनशिक्षा पूरी तरह आपत्तिजनक है। एक सामान्य नियम द्वारा प्रारम्भिक स्कूलों के खर्च, अध्यापकों की योग्यता, दीक्षा के विषय आदि निर्धारित करना— जैसाकि संयुक्त राज्य में होता है— अथवा शासन के निरीक्षकों द्वारा इन कानूनी मुद्दों की पूर्ति का निरीक्षण किया जाना, यह सब एक बात है और राज्य को जनता का शिक्षक नियुक्त कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। वास्तव में सरकार और चर्च दोनों के किसी भी प्रकार के प्रभाव से स्कूल को मुक्त रखा जाना चाहिए।— कार्ल मार्क्स

किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके अभाव में न कोई व्यक्ति विकास कर सकता है, न कोई समाज विकास कर सकता है और न कोई राष्ट्र विकास कर सकता है।

ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा का स्वरूप

उपनिवेशी नई शिक्षा प्रणाली ऐसे प्रतिबंधों से ऊपर और मुक्त प्रणाली थी। सरकार द्वारा समर्थित और मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों में जाति, नस्ल और धर्म के भेदभाव बिना प्रवेश मिल सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उच्च जातियों के विरोध के बावजूद पारंपरिक रूप से बहिष्कृत समूहों ने इस शिक्षा का लाभ उठाया जिसके कारण समाज के कुछ वर्गों की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला और कुछ सीमा तक निम्न जातियों को भी सामाजिक गतिशीलता के अवसर मिले। अधिकांश भारतीय भाषाओं के आरंभिक उपन्यासों में इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाविष्ट किया गया। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी के मलयाली उपन्यास, *सरस्वती विजयम* में पारंपरिक दमनकारी दशाओं और उपनिवेशी एजेंसियों द्वारा निम्न जातियों के लिए शिक्षा का द्वार खोलने तथा शिक्षा की मुक्तदायी शक्ति के बीच अंतर्द्वंद्व और विरोधाभास को मार्मिक ढंग से उजागर करता है। इस उपन्यास के लेखक पाथेरी कुंहाम्बू निम्न जाति के थे। उन्होंने अपने उपन्यास में दलितों के लिए

शिक्षा की नई दुनिया खोलने में मिशनरियों तथा सरकारी संस्थानों की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला है। लेखक ने यह उजागर किया है कि शिक्षा से जो स्थिति बनी है इससे भूमि नियंत्रण पर आधारित पारंपरिक शक्ति समीकरण कमजोर पड़ रहा है। कुंहाम्बू के चरित्रों की उपलब्धि और पराजय में बदलाव को जीवंत रूप में देखा जा सकता है। निम्न जाति के लिए वर्जित गाना गाने पर एक युवा दलित जिसका नाम मर्थन है, पर जानलेवा हमला किया जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक मिशनरी की मदद से वह युवक शिक्षा ग्रहण करता है और ब्रिटिश सरकार में उसे नौकरी मिलती है और वह जज बन जाता है।

दलित लड़के की हत्या का आरोपी भूस्वामी को उसके न्यायालय में उसके सामने पेश किया जाता है जहाँ वह अपनी पहचान साबित करते हुए उसे क्षमा कर देता है। उपनिवेशी नई शिक्षा प्रणाली से केवल मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी ही प्रभावित नहीं था, बल्कि समय के साथ समाज के अन्य वर्ग भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। इसके परिणामस्वरूप समाज के वंचित वर्ग को उपनिवेशी शिक्षा प्रणाली में अपनी मुक्ति का माध्यम नज़र आने लगा। अतः पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के अधीन वंचित वर्गों के सामाजिक अनुभव और उपनिवेशी संस्थानों में उनके प्रति बराबरी के व्यवहार के बीच अंतर्विरोध से अनेक वंचित वर्गों को उपनिवेशवाद में मुक्ति की संभावना दिखाई दी। आज भी कुछ दलित बुद्धिजीवी सवर्ण प्रभुत्ववाली समकालीन व्यवस्था से उपनिवेशी शासन को बेहतर मानते हैं।

इस प्रकार के बदलावों में एक उल्लेखनीय बदलाव यह था कि मध्यमवर्ग के साथ-साथ पारंपरिक रूप से वंचित और दलित वर्ग ने इस बदलाव को विभिन्न रूपों में समझते हुए इसे आधुनिकता की संज्ञा दी। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने-अपने भविष्य की आकांक्षा के अनुरूप इस बदलाव की व्याख्या की। ऐसे सोच के पीछे दो कारण थे। पहला, ऐसे समाज में जहाँ शिक्षा के अवसर जाति विशेष में जन्म लेने से तय होते थे, वहाँ उपनिवेशी शिक्षा के सार्वजनिक स्वरूप ने सैद्धांतिक रूप से मुक्त शिक्षा की अनुमति दी। यह सभी के लिए एक विचारोत्तेजक शुरुआत थी। दूसरा, नई पाठ्यचर्या में वैज्ञानिक ज्ञान शामिल किया गया था जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में नहीं था। इससे ज्ञान की अनजान दुनिया का रास्ता खुला। इस संबंध में सर्वोपरि यह था कि लोगों को उपनिवेशी शासन की भाषा सीखने का अवसर मिला जिसमें सामाजिक गतिशीलता की उम्मीद दिखाई गई थी। यह सम्मोहक बदलाव समाज के मुट्ठीभर लोगों तक ही सीमित था। इसने उपनिवेशी व्यवस्था की सच्चाई को पूरी तरह जाहिर नहीं किया। उपनिवेशी शासन द्वारा दी जा रही।

स्वतंत्रता के बाद की स्थिति

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा की संरचना, शिक्षण पद्धतियों, शैक्षिक प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों में सुधार तथा विकास के लिए अनेकों सार्थक प्रयास करने पर बल दिया गया है। शैक्षिक असमानताएं और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निर्बल और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाओं का निर्धारण कर उनको अमलीजामा पहनाने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। इसके लिए दो प्रकार की शिक्षा नीति बनायी गयी। पहली तो यह कि इतिहास में जो वर्ग शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें आरक्षण के माध्यम से मुख्यधारा में आने का अवसर दिया गया जबकि दूसरी नीति के तहत गरीब और पीछे छूटे हुए लोगों के लिए छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य रूपों में आर्थिक मदद जैसी व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि शिक्षा का ग्राफ तेजी से ऊपर तो गया है, परन्तु जनसंख्या के अनुपात से देखें तो अभी भी दलितों का साक्षरता प्रतिशत औरों की अपेक्षा बहुत कम है।

आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में शिक्षा के प्रचार के साथ साथ उसका गुणात्मक मूल्य लगातार कम होता जा रहा है तथा कुछ विशेष केन्द्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिमान्य शिक्षण संस्थाएं सिर्फ डिग्रियां बांटने का केन्द्र बनकर रह गयी है।

आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में शिक्षा के प्रचार के साथ साथ उसका गुणात्मक मूल्य लगातार कम होता जा रहा है तथा कुछ विशेष केन्द्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिमान्य शिक्षण संस्थाएं सिर्फ डिग्रियां बांटने का केन्द्र बनकर रह गयी है।

आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में शिक्षा के प्रचार के साथ साथ उसका गुणात्मक मूल्य लगातार कम होता जा रहा है तथा कुछ विशेष केन्द्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो अधिमान्य शिक्षण संस्थाएं सिर्फ डिग्रियां बांटने का केन्द्र बनकर रह गयी है।

उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें

		(संख्या)		
संस्था	2001.02	2006.07'	2007.08'	
1	2	3	4	
1 विश्वविद्यालय	22	31	30	
2 महाविद्यालय	835	1893	2040	
3 माध्यमिक विद्यालय	9063	14745	15413	
4 उच्च प्राथमिक विद्यालय	20429	44121	50691	
5 प्राथमिक विद्यालय	88927	137366	141058	
6 नर्सरी स्कूल	43	43	43	

अनन्तिम।

स्रोत :- शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश और केरल में तुलनात्मक शैक्षिक स्थिति

भारत में 2012-13 तक कुल शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त (केन्द्र या राज्य द्वारा संचालित) और निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या 14,31,702 है। उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 239817 है। जो भारत के कुल स्कूलों का 16.75 प्रतिशत है। जबकि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 16.49 है। इसी के साथ केरल में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 16287 है। जो देश के कुल स्कूलों का 1.13 प्रतिशत ही है। जबकि केरल की कुल जनसंख्या 33387677, जो देश की कुल जनसंख्या का केरल में 2.75 प्रतिशत है। इस प्रकार के आंकड़े देखने से यह पता चलता है कि केरल में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जनसंख्या के हिसाब से स्कूलों का संचालन कम ही हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में केरल की तुलना में जनसंख्या के मुकाबले ज्यादा स्कूल स्थापित हैं। तब ऐसा कौन-सा कारण है कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए जरूर कोई तकनीकी, अकर्मण्यता, सामाजिक पिछड़ापन या वचनबद्धता में कमी ही उत्तरदायी कारण हैं। उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 163078 है। जबकि केरल में सरकार द्वारा संचालित और सहायतित स्कूलों की संख्या 4946 है। जो केरल के कुल स्कूलों का 30.36 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों का 68 प्रतिशत है।

भारत के प्रमुख राज्यों में जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक
स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात, 2004-05

राज्य	छात्र-शिक्षक अनुपात	
	जू.बे.स्कूल (प्राइमरी)	सी.बे. स्कूल (मिडिल)
1	2	3
1 आन्ध्र प्रदेश	33	31
2 असम	42	16
3 बिहार	104	75
4 गुजरात	35	39
5 हरियाणा	44	30
6 हिमाचल प्रदेश	24	30
7 कर्नाटक	26	37
8 केरल	28	27
9 मध्य प्रदेश	43	30
10 महाराष्ट्र	37	37
11 उड़ीसा	53	44
12 पंजाब	43	19
13 राजस्थान	49	34
14 तमिलनाडु	33	41
15 उत्तर प्रदेश	58	35
16 पश्चिम बंगाल	54	44
17 अरुणाचल प्रदेश	34	30
18 छत्तीसगढ़	48	46
19 गोवा	21	17
20 जम्मू एवं कश्मीर	34	16
21 झारखण्ड	81	61
22 मणिपुर	30	20
23 मेघालय	44	16
24 मिजोरम	17	8
25 नागालैण्ड	19	16
26 सिक्किम	22	25
27 त्रिपुरा	54	15
28 उत्तराखण्ड	25	18
29 दिल्ली	40	26
भारत	46	35

स्रोत Selcted Statistics MHRD 2004-05

आजादी के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक विकास

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का यह प्रयास सकारात्मक सोच से आगे बढ़ाना होगा। जहाँ वर्ष 1950-51 में प्रदेश में 34,833 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 28.75 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वहीं 2011-12 में 2,32,017 विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की संख्या लगभग 377.16 लाख तक पहुँची है जो निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रचार-प्रसार के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। प्राथमिक कक्षा में अंग्रेजी विषय तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी पर बल देकर तथा माध्यमिक शिक्षा को अंग्रेजी विषय के साथ रोजगार परक बनाकर छात्रों को सरकारी तथा अनुदानित विद्यालयों में शिक्षा पाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बिना सरकारी तथा अनुदानित विद्यालयों के सहयोग के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। मिड-डे मील की गुणवत्ता को सुधारा जाए। साक्षरता दर जो राजधानी और पड़ोसी जिलों में पुरुषों में 76 प्रतिशत और महिलाओं में 60.50 फीसद एवं अनुसूचित जाति में 50.50 फीसद है, उसे 100 फीसद करने का लक्ष्य बनाना होगा।

उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके इस हेतु सरकार ने समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक परिषदीय स्कूल में 'शिक्षा समिति' गठित की जाती है। इस 'शिक्षा समिति' में ग्राम प्रधान समिति का अध्यक्ष और 4 से 6 सदस्य होते हैं। 3 से 5 सदस्य विधालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक और अन्तिम सदस्य स्कूल/विधालय का प्रधानाध्यापक होता है। 'शिक्षा समिति' ग्राम पंचायत में स्थापित परिषदीय विधालयों में मध्याह्न भोजन(Mid-Day Meal), छात्रवृत्ति, ड्रेस मैटेरियल और ड्रेस वितरण शिक्षक एवं छात्र दोनों उपस्थिति की भी जिम्मेदारी का दायित्व होता है। इसके अलावा विधालय के सभी वित्तीय कार्य 'शिक्षा समिति' की देखरेख में किये जाते हैं। 'शिक्षा समिति' का सही मायने में उद्देश्य यही होना चाहिए कि येन-केन-प्रकारेण शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना। जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है।

प्रदेश में 1950-51 में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की संख्या एक थी जो 2009-10 में 14 रह गई। वर्ष 2001-02 में 20 विश्वविद्यालय एवं 2009-10 में 30 विश्वविद्यालय और 2001-02 में 875 महाविद्यालय एवं 2009-10 में 2789 महाविद्यालय शिक्षा की प्रगति का संकेत है, किन्तु उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाना अति आवश्यक हो गया है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जैसे बीकॉम में सेल्समैनशिप विषय और बीए में कम्प्यूटर एप्लिकेशन विषय एवं बीएससी में कम्प्यूटर साइंस, एन्वायरमेंटल साइंस, सीरीकल्चर जैसे विषय पढ़ाकर पाठ्यक्रम को रोजगारपरक बनाया जा सकता है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाए ताकि छात्रों का समय पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में बर्बाद न हो। माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक बनाकर छात्रों को प्रवेश से बाहर जाने से रोका जाए।

शिक्षकों के रिक्त पदों को भरकर गुणवत्त सुदृढ़ की जाए। उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में अधिक अंकों की परीक्षा कराने तथा साक्षात्कार हेतु कम अंकों का प्राविधान करना योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान कराना है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती के साथ-साथ 4 या 5 वर्षों के अन्तराल पर मनोवैज्ञानिक तौर पर एक शिक्षक के रूप में तैयार करना चाहिए। जिससे आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए योग्य नागरिक बन सके। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि देश को सुदृढ़ बनाने के लिए आने वाली पीढ़ी को बुनियादी शिक्षा में मैलिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

सुझाव

- स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाई हो।
- छात्र-शिक्षक अनुपात दुरुस्त हो। जो कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार हो।
- गाँव व कस्बों में इंटर कॉलेज खुलें ताकि लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े।
- शिक्षकों को वर्तमान की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए।
- शिक्षकों को स्कूलों एवं महाविद्यालयों (शिक्षण संस्थाओं) के समीप में ही आवास की सुविधा दी जाए या शिक्षकों को गृह जनपदों में ही नियुक्ति की जाए।
- शिक्षकों से स्कूल की गतिविधियों के इतर अन्य कोई कार्य न कराया जाए।
- छात्रावासों को बेहतर बनाया जाए।
- स्कूलों में खेल गतिविधियों का गंभीरता से आयोजन हो। वोकेशनल कॉलेज खुलें, जिससे छात्रों को आसानी हो।
- अवध में कई जिले ऐसे हैं जहां के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा के इंतजाम किये जाएं।

सन्दर्भ

- अग्निहोत्री, रवीन्द्र, 1993, भारतीय शिक्षा : दशा और दिशा, केदारनाथ रामनाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।
- अग्निहोत्री, रवीन्द्र, 2001, आधुनिक भारतीय शिक्षा – समस्याएं और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- अग्रवाल, जे0 सी0, 1991, स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास, आर्य बुक डिपो, 30, नईवाला, करोलबाग, नई दिल्ली।
- उपाध्याय, डॉ0 प्रतिभा, 1999, भारतीय शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ, शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद।
- Mehta C Arun, Elementary Education in India : Analytical table-2012-13, Progress towards UEE, Table 1.1 Number of Schools by Category : 2012-13 Published by, National University of Educational Planning and Administration, New Delhi & Department of School Education and Literacy Ministry of Human Resource Development Government of India. Page. No.2
- Mehta, C. Arun, Elementary Education in India : Analytical table-2012-13, Progress towards UEE, Table 1.1 Number of Schools by Category : 2012-13 Published by, National University of Educational Planning and Administration, New Delhi & Department of School Education and Literacy Ministry of Human Resource Development Government of India. Page. No.5
- देवी प्रसाद, 1984, हिन्दू समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया, पूर्वा संस्थान, गोरखपुर।
- आचार्य, पी. 1987. 'एजुकेशन: पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर', आर. घोष एंड एम. जकारिया (संपादकगण) की एजुकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज, नयी दिल्ली : सेज।
- अग्रवाल, वाई. और एस. सिबु, 1994. एजुकेटिंग शिड्यूल्ड कास्ट्स : ए स्टडी ऑफ इंटर डिस्ट्रीक्ट एंड इंटरकास्ट डिफरेंशियल्स, नयी दिल्ली: नेशनल इस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
- अहमद, आई., 2003. 'एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ माइनोंरीटीज इन इंडिया', जे. बी. जी. तिलक (संपादक) की एजुकेशन, सोसायटी एंड डेवलपमेंट : नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, नयी दिल्ली: एन.आई.ई.पी.ए.।
- एप्पल, एम. डब्ल्यू. 1979. आईडियोलॉजी एंड कॅरिकुलम, लंदन: रुटलेज और केगन पॉल।
- कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी, जिल्द 14, नई दिल्ली।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1988): इंडिया विंस फ्रीडम, नई दिल्ली।
- प्लानिंग कमीशन : पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप इन हायर एंड टेक्नीकल एजुकेशन, ड्राफ्ट परामर्श पेपर।